न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रा0पत्र संख्या :– 116/प्रा0पत्र/2019.

1. काली बाई आयु 55 वर्ष पुत्री मांग्या जाति गुर्जर निवासी तलोदा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थीयां

बनाम

1. भूरी बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्री मांग्या पत्नि श्री नारायण जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा, तहसील जहाजपुर, जिला–भीलवाडा (राज0)।
2. बच्चीबाई आयु 55 वर्ष पत्नि श्री किशन लाल जाति गुर्जर निवासी नानकपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 212 आर.टी.एक्ट. बाबत

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री कैलाशचन्द नामधराणी
अप्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री भंवरलाल गुर्जर

निर्णय दिनांक :– 19/03/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम तलोदा पटवार क्षेत्र विजयगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में प्रार्थीयां व अप्राथीयां संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की खाता संख्या 5 की कृषि भूमि खसरा संख्या 103/340 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 229 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 230 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 231 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 232 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 234 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 236 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 238 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 239 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 240 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा विस्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2073–76 में प्रार्थीया व अप्रार्थीनी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया का 3/4 हिस्सा व अप्रार्थीनी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमिया प्रार्थीया के पिता मांग्या के स्वामित्व की कृषि भूमिया थी। प्रार्थीयां अपने पिता के पास ही रहकर उनकी सेवा सुश्रुवा करती थी। अप्रार्थीनी संख्या 1 का विवाह आज से करीब 50 वर्ष पूर्व ग्राम किशनपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में गया एवं तभी से अप्रार्थीनी संख्या 1 अपने ससुराल में ही रहती चली आ रही है। प्रार्थीयां के पिता की मृत्यु को लगभग 25 वर्ष हो चुके है। प्रार्थीयां ही अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त सम्पूर्ण भूमियों पर काबिज काश्त है एवं वही वादग्रस्त भूमियों को बहैसियत स्वामी खेती करती चली आ रही है। वादग्रस्त भूमियों में अप्रार्थीनी संख्या 1 ने कभी कोई काश्त नही की है। वादग्रस्त भूमियों का प्रार्थीयां व अप्रार्थीनी संख्या 1 के मध्य आज तक विधिवत बंटवारा नही हुआ है। अप्रार्थीनी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमियों में राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/4 हिस्से की भूमियों को दिनांक 03.07.2019 को अप्रार्थीनी

या 2 को अवैध रूप से विक्रय कर दिया है। अप्रार्थीनी संख्या 1 ने अप्रार्थीनी संख्या 2 को मौके पर किसी भूमि का कब्जा भी नही दिया है। अप्रार्थीनी संख्या 2 उक्त अवैध बेचान के आधार पर वादग्रस्त भूमियों पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है एवं प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल कर रही है। अप्रार्थीनी संख्या 2 वादग्रस्त भूमियों में अजनबी केता है। अप्रार्थीनी संख्या 2 बिना भूमियों का बंटवारा कराऐ वादग्रस्त भूमियों में से किसी भी भूमि पर प्रार्थीयां के कब्जे स्वामित्व में दखल करने का कोई अधिकार नही रखती है। यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमिया पैतृक स्वामित्व की भूमिया है, इस कारण अप्रार्थीनी संख्या 1 उक्त भूमियों को किसी अन्य अजनबी केता को विक्रय नही कर सकती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत उक्त भूमियों को प्राथमिकता से प्रार्थीयां को खरीदने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीनी संख्या 1 ने उक्त भूमिया बिना प्रार्थीयां को उक्त भूमिया क्रय करने का अवसर दिये विक्रय की है जिसे निरस्त कराने का अधिकार प्रार्थीया को प्राप्त है। प्रार्थीया बाजार मूल्य पर उक्त भूमियों में अप्रार्थीनी संख्या 1 के हिस्से को सदैव खरीदने को तत्पर रही है। अप्रार्थीनी संख्या 1 ने अप्रार्थीनी संख्या 2 को मौके पर किसी भी भूमि का कब्जा नही दिया है। अप्रार्थीनी संख्या 1 को भी बिना बंटवारा कराऐ कोई भी भूमि किसी अन्य को हस्तातंरित करने का कोई अधिकार नही है। उक्त तथाकथित अवैध बेचान के आधार पर अप्रार्थीनी संख्या 2 अपने परिवार के साथ दिनांक 05.07.2019 को टेक्ट्रर लेकर जबरन प्रार्थीया के कब्जे की भूमियो पर कब्जा करने आई। प्रार्थीया व उसके परिवार द्वारा विरोध करने पर वह उस समय तो वहां से चली गई किन्तु अप्रार्थीनी संख्या 2 व उसके परिवार वाले प्रार्थीया को धमकी देकर गये है कि वे वादग्रस्त भूमियों के 1/4 हिस्से पर जबरन कब्जा करके रहेगे। वादग्रस्त भूमियों का प्रार्थी व अप्रार्थीनी संख्या 1 के मध्य कोई विभाजन नही हुआ है एवं नही अप्रार्थीनी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि में आज तक कोई कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थीनी संख्या 2 जो अजनबी केता है, को वादग्रस्त भूमियों में बिना बंटवारा कराऐ किसी भी भूमि पर कब्जा करने अथवा काश्त करने का कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमियों का विधि अनुरूप आज तक कोई बंटवारा नही हुआ है एवं नही अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमियों में कोई कब्जा है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय श्रीमान में वाद प्रस्तुत कर दौराने वाद अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करे कि अप्रार्थीगण बिना भूमियों का बंटवारा कराऐ जबरन वादग्रस्त भूमियों के किसी भी हिस्से पर कब्जा नही करे एवं नही प्रार्थीयां को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल करे एवं अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से भी प्रतिबंधित किया जावे कि वे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीया अप्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीनी संख्या 2 को किऐ गऐ अवैध बेचान को निरस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में पृथक से वाद पेश करेगी। दौराने वाद यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित नही किया गया तो वे जबरन प्रार्थीया को विवादित भूमियों से बेदखल कर भूमियों पर कब्जा कर लेगे जिससे प्रार्थीया उक्त भूमियों के उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेगी एवं प्रार्थीयां को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी किसी भी प्रकार से हर्जे की पूर्ति नही की जा सकेंगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीया की प्रार्थना है कि प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दौराने वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वादग्रस्त भूमियों में बिना भूमियों का बंटवारा कराऐ प्रार्थीयां के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नही करे एवं न ही वादग्रस्त भूमियों के किसी हिस्से पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करें एवं साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 को विवादित भूमियों के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखने हेतु प्रतिबंधित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वाद का पेश होना स्वीकार है, शेष चरण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य भूमियो का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

ग्राम तलोदा में विस्थित होना व अप्रार्थीनी भूरी बाई के हिस्से में 1/4 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार लिये गये है अस्वीकार है। भूमियां प्रार्थीयां व अप्रार्थीयां भूरी बाई की पैतृक भूमिया है। स्वर्गीय श्री मांग्या की मृत्यु के बाद प्रार्थीया को 1/4 हिस्सा भूमि विरासत में प्राप्त हुई है जिसके अनुसार अप्रार्थीयां भूरी बाई काबिज हुई तथा अपने हिस्से की 1/4 हिस्सा भूमि में पिछले 25 वर्षो से दिनांक 03.07.2019 तक निरन्तर निर्बाध काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नही होना स्वीकार है परन्तु मौके पर हिस्सेनुसार 25 वर्ष पहले बंटवारा हो गया है शेष चरण अस्वीकार है। अप्रार्थी भूरी बाई निर्बाध काबिज काश्त रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार लिखे गये है अस्वीकार है अप्रार्थीया भूरी बाई ने सअधिकारी अपने हिस्से व कब्जे की भूमियों को अप्रर्थीया बच्ची बाई का जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर विधिवत अप्रार्थीया बच्ची बाई का भौतिक रूप से कब्जा सम्भला दिया है तथा वर्तमान में दिनांक 03.07.2019 से बच्ची बाई निरन्तर निर्बाध शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है इस प्रकार विक्रय की सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है। विक्रय से पूर्व अप्रार्थीया भूरी बाई ने उक्त भूमियों को प्रार्थीया से खरीद करने का आग्रह किया था परन्तु प्रार्थीया द्वारा आर्थिक स्थिति के मध्य नजर इन्कार कर दिया जाने के बाद ही अप्रार्थीनी बच्ची बाई का बेचान किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है अप्रार्थीगण बच्ची बाई ने दिनांक 03.07.2019 को ही विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा प्रार्थीया को अपने हिस्से से अधिक भूमि में अवरोध उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित तथ्य बंटवारा नहीं होना स्वीकार है, शेष चरण अस्वीकार है अप्रार्थीया बच्ची बाई क्रेता काबिज है तथा अब अजनबी क्रेता नहीं होकर बंहेसियत क्रेता खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है प्रार्थीया को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया द्वारा विक्रय पत्र निरस्त करने की कोई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की है प्रार्थीया ने अप्रार्थीनी को बेजा परेशानी करने की गरज से उक्त बाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो अप्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ती सम्भव नहीं होगी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 11 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना व प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार है, प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य है।

अन्य आक्षेप – अप्रार्थीया भूरी बाई को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियों में निहित अप्रार्थीया के हिस्से की भमियों को बेचने का प्रस्ताव प्रार्थीया के समक्ष रखा गया था परन्तु प्रार्थीया ने आर्थिक कारणों से प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया इसके बाद उक्त भूमियों जर्ये रजिस्टर्ड विक्र पत्र दिनांक 03.07.2019 को विधिवत तरीके से अप्रार्थी बच्ची बाई को बैचान कर भौतिक रूप से कब्जा सम्भला दिया तथा विक्रय सम्बन्धित सम्पूर्ण औपचारिकताओं की पालना कर दी गई, अप्रार्थीया को आवश्यकता होने पर अपने हिस्से की भूमि को रहन, बैचान करने का पूर्ण अधिकारी है प्रार्थीया को अपने हिस्से से अधिक भूमियों में कब्जा करने या अन्य हिस्सेदार को रहन, बैचान करने से रोकने का कोई अधिकार नही है। वाद व प्रार्थना पत्र में कानूनी नुक्श है। सयुक्त खातेदार के विरूद्ध धारा 188 व धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत वाद व प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमनें वकील पक्षकारान की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी।

वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम तलोदा में स्थित है जिनका कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा है। प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 भूरी के नाम खातेदारी में दर्ज है। इनमें प्रार्थीयां का 3/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार प्रार्थीयां के पिता मांग्या जी थे जिनकी मृत्यु उपरान्त नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

उक्त भूमियां प्रार्थीयां व अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थी भूरी बाई का उक्त भूमि में कभी कब्जा नही रहा है। इन्होने दिनांक 03.07.2019 को उक्त भूमियों में निहित अपने हिस्से को अप्रार्थी संख्या 2 को पंजीकृत विकय पत्र से बेचान कर दिया है, कब्जा नही दिया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार नियम की धारा 22 के तहत पैतृक सम्पतियों को कय करने का सबसे पहले अधिकार उनके परिवार का है। इन्होने हमारे से छुपाकर जमीन बेचान कर दी है।

वकील प्रार्थीयां के उक्त तथ्यों का खंडन करते हुये वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक होना स्वीकार है। हमने बेचान से पहले इनसे भूमि लेने हेतु आग्रह किया था, परन्तु इन्होने भूमि कय नही की है। मैने मेरे हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत ये हमारे निकटम परिवार होने से हमने भूमि बैचने का इनसे आग्रह किया था, परन्तु इन्होने कय नही की है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दी है। राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल नही खुलने से खातेदार नही हो पाया है। सामलाती भूमि में बंटवारा नही होने तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा रहता है। इनकों बंटवारे का वाद लाना चाहिये था, उसके स्थान पर केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाये है जिसके आधार पर यह हमे अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित नही कर सकते है। कोई वाद कारण नही है उनके द्वारा चाहा गया अनुतोष यह सिविल न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।

वकील अप्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये वकील प्राथीयां ने कथन किया कि उनका राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है, परन्तु कब्जा कभी नही रहा है। इन्होने भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को बेंचान कर दी है। हमने इस पंजीकृत विकय पत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में दावा पेश कर रखा है, दस्तावेज पेश है। इनका कौन–कौनसे खसरा नम्बर पर कब्जा रहा है यह जवाब में बता नही पाये है। अप्रार्थी संख्या 2 ने मौके पर कब्जा प्राप्त नही किया है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विनिर्णिय राजस्व मण्डल अजमेर **RRD 1996 Page No. 148, DNJ 2019(S.c.) Page No. 385** पेश किये है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को तात्फैसला वाद दखलन्दाजी नही करने हेतु पाबंद किया जावें।

माननीय न्यायालयों द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अस्थाई आदेश के तीन घटक होते है, जिनमें न्यायिक विवेक का युक्तियुक्त प्रयोग आवश्यक है। ये घटक निम्नानुसार है।

1. प्रथम दृष्टिया मामला :– प्रथम दृष्टिया मामला सद्भाव पूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिए इसे साबित करने का भार वादी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। विवादित भूमियां प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। एक सहअभिधारी द्वारा दूसरे सहअभिधारी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद केवल अपने अधिकारों के उपभोग के लिए चलने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर किया हुआ है। उक्त रजिस्टर्ड बेचाननामें को निरस्त कराने हेतु वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। बैचान वैध/अवैध है, का निस्तारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। इस न्यायालय द्वारा केवल प्रार्थीयां को केवल अपने अधिकारों के उपभोग करने के स्तर तक राहत प्रदान की जा सकती है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीयां ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बेचाननामा तो कर दिया है, परन्तु कब्जा नही सौपा है। कब्जा अभी भी प्रार्थीयां का है। उक्त कब्जे के प्रश्न का समाधान विस्तृत साक्ष्यों उपरान्त मूल वाद में तय किया जाना है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों के प्रत्येक अंश पर विचार करने के बाद न्यायालय प्रथम दृष्टिया मामला आंशिक रूप से प्रार्थीयां के पक्ष में बनता है।
2. अपूर्णीय क्षति कारित होने की सम्भावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अस्थाई आदेश चाहा जाता है तो वादी को यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीयां सिविल न्यायालय में पंजीकृत बैचाननामें निरस्त कराने को लेकर मामला विचाराधीन है। दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थीयां द्वारा कहा गया है कि हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रथम अधिकार समीपस्थ भूमियां होने के कारण प्रार्थीयां को ही बेचान होना चाहिये था। उक्त बेचान प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। उक्त का निस्तारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। बेचान अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं के हिस्से की भूमि का किया गया है। बेचान वैध/अवैध है, इसकी राहत सिविल न्यायालय से प्रकरण के निस्तारण के उपरान्त ही तय होना है। अतः प्रार्थीयां को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश को मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष या व्यादेश से इन्कार करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा संतुलन का निर्णय लिया जा सकता है। विवादित भूमियों की प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त खातेदार है। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाणित साक्ष्य भी उपलब्ध नही है जिससे अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीयां की भूगि पर अतिचार/दखलन्दाजी करना प्रमाणित हो। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से सुविधा संतुलन भी प्रार्थीयां के पक्ष में नही है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियां प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में निहित है। संयुक्त खातेदारों के मध्य स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में न्यायालय अधिकारों के उपभोग से दोनों पक्षकारों को वंचित करना न्यायोचित नही समझता है। प्रकरण में न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों को ध्यान में रखते हुये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त करते हुये आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीयां व अप्रार्थीगण ताफैसला वाद विवादित भूमि खसरा संख्या 103/340, 229, 230, 231, 232, 234, 236, 238, 239, 240 कुल किता 10 कुल रकबा 20.14 बीघा वाके ग्राम तलोदा प0म0 विजयगढ में निहित भूमियों पर सिविल न्यायालय में दायर प्रकरण के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखेगे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय सरे इजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)
हिण्डोली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी